संख्या.....ं सी०एस०टी०यू०के० / जी०एस०टी०—विधि / 2017—18 देहरादूनः: दिनांक नवम्बर, 2017

आदेश

विषयः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क के अधीन प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन—1 में घोषणा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाए जाने विषयक।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क सपिठत उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर तथा आदेश संख्या 3771 दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय, अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्ररूप जी०एस०टी० टीआरएएन—1 में घोषणा दाखिल करने की तिथि, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाती हूँ।

अायुक्त राज्य क

उत्तराखण्ड।

Commissioner State Tax Uttarakhand No: 3907/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18

Dehradun :: Dated ::\5 November, 2017

Order

Subject: Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 under rule 120A of the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 2017.

In exercise of the powers conferred by rule 120A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, on the recommendations of the Council, and in supersession of Order No. 3771 dated 06th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-**1 is extended till 27th December, 2017.

> (Sowjanya) Commissioner State Tax,

Uttarakhand.